भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2687 का उत्तर

देश में मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग

2687. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री के. राधाकृष्णन:
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
श्री मुकेश राजपूत:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर बहराइच, उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंगों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) वर्ष 2018 से 2024 तक देश में मानवरहित लेवल क्रॉसिंगों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ग) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और असम में लेवल क्रॉसिंगों को हटाने और उन्हें मानवरहित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं और इन कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, इन्हें स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे अंडरपास में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) वर्ष 2021-24 के दौरान बंद की गई रेलवे क्रॉसिंगों की संख्या और गुजरात में बंद की गई मानवरहित क्रॉसिंगों का ब्यौरा क्या है;

(छ) जलालपुर में स्वीकृत ओवर ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग संख्या 429 का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ज) मानवरहित लेवल क्रॉसिंगों को समाप्त करने के लिए 2018 से अब तक कितने रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज बनाए गए हैं;

(झ) उक्त लेवल क्रॉसिंग के कारण 2022-2024 के दौरान राज्य-वार कितनी मौतें हुईं और मृतकों के परिवारों को किस प्रकार सहायता प्रदान की गई; और

(ञ) क्या सरकार का ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ञ): 2014-19 के दौरान, भारतीय रेल के बड़ी लाइन नेटवर्क पर कुल 8948 बिना चौकीदार वाले समपार को चौकीदार वाले समपार में बदलकर बन्द/विलय करके तथा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल का निर्माण करके समाप्त किया गया। वर्तमान में, भारतीय रेल की बड़ी लाइन नेटवर्क की चालू लाइनों पर कोई बिना चौकीदार वाला समपार नहीं है। हालाँकि, भारतीय रेल के मीटर लाइन और छोटी लाइन खंडों पर 513 बिना चौकीदार वाले समपार हैं और आमान परिवर्तन के दौरान इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।

वर्ष 2022-24 के दौरान भारतीय रेल नेटवर्क के मीटर लाइन और छोटी लाइन खंडों पर मौजूद बिना चौकीदार वाले समपार पर कोई परिणामी दुर्घटना नहीं हुई।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल के बड़ी लाइन नेटवर्क पर 17,083 बिना चौकीदार वाले समपार हैं। बिना चौकीदार वाले समपार (बड़ी लाइन) के राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य को मंजूरी देना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

2004-14 से 2014-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-24	11,945 अदद (लगभग तीन गुना)

2021-24 के दौरान, भारतीय रेल पर कुल 3139 ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है, जिनमें गुजरात राज्य में 324 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल शामिल हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 92,692 करोड़ रुपए की लागत से 4200 ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 741, मध्य प्रदेश में 306, बिहार में 204, गुजरात में 323, आंध्र प्रदेश में 248 और असम में 51 ऊपरी सड़क पुल शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

ग्वालियर-धौलपुर खंड पर जलालपुर में समपार संख्या 429 के स्थान पर निचले सड़क पुल को पहले ही चालू कर दिया गया है और समपार को बंद कर दिया गया है। हालांकि, सेतु बंधन योजना के तहत इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का काम भी मंजूर किया गया है। यह कार्य मध्य प्रदेश राज्य सरकार (मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड) के द्वारा एकल इकाई के आधार पर शुरू किया गया है।

रेलवे ने ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नानुसार उपाय किए हैं:

(i) सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है ताकि सुचारू रूप से निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(iii) डिजाइन के अनुमोदन के दौरान देरी से बचने के लिए रेलवे के हिस्से पर सड़क के विस्तार, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिसंरचना के संरेखण का मानकीकरण किया गया है। इसे संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे शीघ्र नियोजन के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

(iv) जहां भी संभव हो ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्यों को रेल द्वारा एकल इकाई आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे उन्हें एकल इकाई आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

रेलवे द्वारा सबवे में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए कई निवारक उपाय किए गए हैं। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था को नए निचले सड़क पुलों/सबवे की योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। व्यवहार्यता, उपयुक्तता और स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा निचले सड़क पुलों/सबवे में पानी के बहाव को नजदीकी पुलों और नालों में मोड़ा गया है, पहुँच मार्गों पर कवर शेड की व्यवस्था, निचले सड़क पुलों के मुहानों पर हम्प बनाने, क्रॉस ड्रेन की व्यवस्था, ज्वाइंट्स की सीलिंग करने जैसे निवारक उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, चिह्नित निचले सड़क पुलों में पंपिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में जल की शीघ्र निकासी की जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने के प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, देश में समपारों पर रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं –

- संरक्षा बढ़ाने के लिए अधिक रेल/सड़क वाहन यातायात वाले समपारों को सिगनलों के साथ इंटरलॉक किया गया है।
- समपारों पर व्हिसल बोर्ड, सड़क चेतावनी बोर्ड, स्पीड ब्रेकर आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं।
- समपारों पर सुरक्षित गुजरने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरूकता अभियान/संरक्षा नारे शुरू किए जाते हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 11.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2687 के भाग (क) से (ञ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य-वार चौकीदार वाले समपार (01.04.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्रं.सं.	राज्य	बड़ी लाइन पर चौकीदार वाले समपार
1	आंध्र प्रदेश	885
2	असम	860
3	बिहार	1786
4	चंडीगढ़	3
5	छत्तीसगढ़	183
6	दिल्ली	24
7	गोवा	7
8	गुजरात	1432
9	हरियाणा	440
10	हिमाचल प्रदेश	13
11	जम्मू एवं कश्मीर	28
12	झारखंड	365
13	कर्नाटक	629
14	केरल	381
15	मध्य प्रदेश	611
16	महाराष्ट्र	650
17	मणिपुर	0
18	मिज़ोरम	1

19	नागालैंड	1
20	ओडिशा	675
21	पुडुचेरी	21
22	पंजाब	976
23	राजस्थान	876
24	तमिलनाडु	1285
25	तेलंगाना	263
26	त्रिपुरा	15
27	उत्तर प्रदेश	2889
28	उत्तराखंड	149
29	पश्चिम बंगाल	1635
	कुल	**17083**

*****